**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 3680**

**दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बजट आबंटन**

**†3680. श्री बिभु प्रसाद तराईः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित बजट सहित विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
(एनएचएम) के अंतर्गत किए गए बजट आबंटन का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 सहित विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार बजट का कितना उपयोग किया गया है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के अंतर्गत आवंटित और उपयोग किए गए अतिरिक्त संसाधनों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ओडिशा के प्रत्येक जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल की स्थापना करके जिला स्तर पर स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (घ): साम्य, सस्ती और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कर रहा है और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार करने और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एनएचएम के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्राक्कलन (बीई) 37,226 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित प्राक्कलन (आरई) 36,000 करोड़ रुपये है। अब तक 33,504 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। राज्यों को उनकी आवश्यकता और प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का उपयोग

करने में अपेक्षाकृत और अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए फ्लेक्सीबल पूल के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एकमुश्त आधार पर निधियां जारी की जाती हैं।वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्र द्वारा जारी धनराशि और व्यय का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया हैं।

मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के तहत बजट प्राक्कलनों और व्यय का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

(रु. करोड़ में)

| **वित्तीय वर्ष** | **बजट प्राक्कलन** | **व्यय** |
|---|---|---|
| 2021-22 | 71,268.77 | 81,779.85 |
| 2022-23 | 83,000.00 | 73,308.30 |
| 2023-24 | 86,175.00 | 80,292.01 |

स्रोत : बजट-व्यय का विवरण, वित्त मंत्रालय।

अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों, जहां कोई मौजूदा सरकारी अथवा निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है, को प्राथमिकता देते हुए "मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस)कार्यान्वित की गई है।" इस योजना के तहत, सभी परिकल्पित 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 131 कार्यशील हैं, जिनमें से 07 मेडिकल कॉलेज ओडिशा के विभिन्न जिलों में अनुमोदित किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों में जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है -

| **क्र.सं.** | **जिला** | **अनुमोदन की तारीख** | **अनुमोदित लागत** | **केंद्रीय हिस्सा (60%)** | **जारी की गई कुल राशि** | **स्थिति** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बालासोर | 10.03.2015 | 189.00 | 113.40 | 113.40 | कार्यशील |
| 2 | बारीपदा (मयूरभंज) | 10.3.2015 | 189.00 | 113.40 | 113.40 | कार्यशील |
| 3 | बोलांगीर | 10.03.2015 | 189.00 | 113.40 | 113.40 | कार्यशील |
| 4 | कोरापुट | 10.03.2015 | 189.00 | 113.40 | 113.40 | कार्यशील |
| 5 | पूरी | 10.03.2015 | 189.00 | 113.40 | 113.40 | कार्यशील |
| 6 | कालाहांडी | 19.02.2020 | 325 | 195 | 100 | कार्यशील |
| 7 | जाजपुर | 08.08.2019 | 250.00 | 150.00 | 150.00 | कार्यशील |

अनुलग्नक

**वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक एनएचएम के केंद्र द्वारा तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार की जारी धनराशि और व्यय**

**(रु. करोड़ में)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | केंद्र द्वारा जारी धनराशि | व्यय | केंद्र द्वारा जारी धनराशि | व्यय | केंद्र द्वारा जारी धनराशि | व्यय | केंद्र द्वारा जारी धनराशि | व्यय |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 43.68 | 31.20 | 45.26 | 42.28 | 37.84 | 40.71 | 41.72 | 23.82 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1,199.37 | 2,448.67 | 1,489.45 | 1,914.34 | 1,096.01 | 2,436.62 | 1,167.48 | 1,481.02 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 188.53 | 248.51 | 233.82 | 424.78 | 404.55 | 399.44 | 347.14 | 272.18 |
| 4 | असम | 1,955.93 | 2,194.36 | 1,981.83 | 2,307.00 | 2,257.06 | 2,626.87 | 1,993.35 | 2,881.95 |
| 5 | बिहार | 1,748.76 | 1,905.35 | 1,586.57 | 3,717.81 | 2,032.95 | 4,010.97 | 2,220.53 | 2,926.77 |
| 6 | चंडीगढ़ | 17.47 | 26.86 | 38.09 | 26.98 | 30.58 | 31.85 | 29.61 | 22.63 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 969.61 | 1,833.45 | 1,195.08 | 2,152.45 | 875.80 | 1,743.79 | 946.34 | 1,334.33 |
| 8 | दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव | 38.59 | 45.02 | 58.28 | 41.61 | 39.92 | 41.96 | 32.51 | 20.54 |
| 9 | दिल्ली | 127.37 | 237.79 | 35.15 | 298.11 | 150.54 | 338.41 | 175.55 | 266.13 |
| 10 | गोवा | 26.01 | 60.56 | 55.42 | 84.64 | 48.97 | 82.44 | 61.03 | 68.26 |
| 11 | गुजरात | 1,094.48 | 1,835.81 | 1,120.06 | 2,292.35 | 1,506.96 | 3,672.25 | 1,283.11 | 1,894.78 |
| 12 | हरियाणा | 577.07 | 879.91 | 681.21 | 1,185.43 | 524.01 | 998.80 | 540.24 | 959.46 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 555.09 | 525.09 | 494.65 | 567.83 | 470.36 | 700.67 | 514.90 | 404.45 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 459.10 | 779.61 | 651.52 | 917.02 | 805.22 | 956.95 | 972.96 | 666.04 |
| 15 | झारखंड | 640.18 | 1,176.55 | 810.30 | 1,495.17 | 958.06 | 1,968.70 | 799.90 | 1,344.65 |
| 16 | कर्नाटक | 1,274.71 | 2,200.92 | 1,246.67 | 2,376.94 | 1,187.60 | 2,272.27 | 1,196.98 | 1,636.38 |
| 17 | केरल | 771.47 | 1,230.96 | 1,036.76 | 1,592.96 | 189.15 | 1,069.42 | 938.80 | 989.78 |
| 18 | लक्षद्वीप | 8.41 | 7.26 | 9.97 | 9.29 | 3.79 | 7.10 | 8.04 | 5.62 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 2,295.66 | 3,714.92 | 2,582.10 | 4,489.15 | 2,545.68 | 5,079.18 | 2,183.99 | 3,681.61 |
| 20 | महाराष्ट्र | 1,769.67 | 4,227.31 | 2,187.13 | 4,501.75 | 2,729.30 | 5,001.70 | 2,329.80 | 4,604.59 |
| 21 | मणिपुर | 95.59 | 154.09 | 61.40 | 214.69 | 169.12 | 159.32 | 233.88 | 232.81 |
| 22 | मेघालय | 282.46 | 227.08 | 261.56 | 319.08 | 261.39 | 305.83 | 250.55 | 284.41 |
| 23 | मिजोरम | 93.82 | 153.16 | 111.82 | 135.33 | 134.42 | 148.29 | 121.84 | 117.06 |
| 24 | नागालैंड | 126.66 | 192.16 | 91.38 | 161.93 | 184.84 | 196.69 | 204.08 | 155.98 |
| 25 | ओडिशा | 1,263.07 | 2,587.72 | 1,284.69 | 3,402.50 | 1,901.77 | 2,868.83 | 1,779.80 | 2,315.15 |
| 26 | पुडुचेरी | 21.33 | 46.36 | 20.73 | 48.51 | 30.80 | 45.74 | 25.26 | 30.87 |
| 27 | पंजाब | 349.21 | 918.96 | 448.89 | ,054.39 | 91.49 | 1,201.21 | 509.48 | 689.25 |
| 28 | राजस्थान | 1,924.95 | 3,230.01 | 1,460.80 | 3,726.21 | 2,785.46 | 4,350.63 | 2,347.71 | 3,242.52 |
| 29 | सिक्किम | 51.86 | 46.06 | 73.30 | 88.69 | 68.17 | 55.69 | 65.90 | 54.95 |
| 30 | तमिलनाडु | 1,631.91 | 3,039.39 | 1,652.24 | 3,191.84 | 1,996.06 | 2,957.57 | 1,543.13 | 2,715.43 |
| 31 | त्रिपुरा | 217.95 | 237.24 | 231.90 | 287.20 | 264.31 | 277.62 | 266.42 | 197.35 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | उत्तर प्रदेश | 3,235.46 | 6,210.20 | 5,133.59 | 3,828.29 | 4,928.14 | 9,044.22 | 5,643.62 | 5,406.28 |
| 33 | उत्तराखंड | 553.47 | 606.07 | 505.01 | 647.13 | 711.33 | 709.79 | 546.96 | 430.47 |
| 34 | पश्चिम बंगाल | 1,654.26 | 2,229.46 | 1,252.32 | 3,509.86 | 890.42 | 2,817.75 | 221.02 | 1,791.48 |
| 35 | तेलंगाना | 725.67 | 1,556.65 | 683.77 | 2,062.93 | 564.93 | 1,001.75 | 1,072.29 | 986.00 |
| 36 | लद्दाख | 44.79 | 62.81 | 94.95 | 109.67 | 120.44 | 119.67 | 104.06 | 78.91 |

नोट:

1. उपर्युक्त जारी धनराशियां केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इनमें राज्य के हिस्से का अंशदान शामिल नहीं है।

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के संबंध में जारी राशि को 05.03.2025 तक अद्यतन किया गया है और यह अनंतिम है।

3. व्यय में वर्ष की शुरुआत में केंद्र द्वारा जारी धनराशि, राज्य द्वारा जारी धनराशि और अव्ययित शेष राशि में से किया गया व्यय का ब्यौरा शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है। आरसीएच आदि के लिए फ्लेक्सिबल पूल के संबंध में व्यय को हरियाणा 30.11.2024 तक अद्यतन को छोड़कर 31.12.2024 तक अपडेट किया गया है।

*****